



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 25 मई, 2026 ई०

ज्येष्ठ 04, 1948 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

संख्या- 190/रा०नि०आ०-3/1379/2013 (2024)

देहरादून, 25 मई, 2026

अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-398329/IV(3)/2026-11 (03निर्वा०)/2024 दिनांक 25 मई, 2026 के क्रम में एतद्वारा राज्य की नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं नगर पंचायत, गढ़ीनेगी, जनपद ऊधमसिंहनगर तथा नगर पंचायत, पाटी, जनपद चम्पावत के अध्यक्षों तथा उनके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा० न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तदनुसार मा० न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
27 मई, 2026 व 29 मई, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	30 मई, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	31 मई, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	01 जून, 2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	09 जून, 2026 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	11 जून, 2026 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के पद/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 26.05.2026 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

मतगणना संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री दिनांक 26 मई, 2026 से संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये समस्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय-सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।